निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 भाद्र 1939 (श0)
(सं0 पटना 860) पटना, मंगलवार, 19 सितम्बर 2017

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
15 सितम्बर 2017

एस० ओ० 159 दिनांक 19 सितम्बर 2017—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल अनुबद्व अनुसूची–1(ब)के स्तंभ–2 में अंकित अनुसुचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते है। अनुसूची –1(ब) के स्तभं –02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची–1(अ) के स्तंभ–01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा–2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ–04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची–1(अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001—100)	आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960—100)
जनवरी,2017	274	4.63 X 4.93	6254.30
फरवरी,2017	274	4.63 X 4.93	6254.30
मार्च,2017	275	4.63 X 4.93	6277.12
अप्रैल,2017	277	4.63 X 4.93	6322.77
मई,2017	278	4.63 X 4.93	6345.60
जून2017	280	4.63 X 4.93	6391.25
			योग :– 37845.34

औसत- 37845.34÷6 = 6307.55

अनुसूची-।(ब)

....

अनुसूचित नियोजन का नामः- (1) पापड़ उद्योग, (2.) नाविक के नियोजन, (3.) अगरबत्ती उद्योग, (4.) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर) / अधिसूचना संख्या-1201, 1202 दिनांक 28.03.2017 गजट संख्या-258 दिनांक 30.03.2017

अनुसूची-II

क्र0 सं0	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+ 01.04.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.10.2017 से प्रभावी होगी	01.10.2017 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	227.00+5.00=232.00	5.00	237.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	237.00+5.00=242.00	5.00	247.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	290.00+6.00=296.00	6.00	302.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	353.00+7.00=360.00	7.00	367.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6535.00+131.00=6666.00	133.00	6799.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशाील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो, निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जनवरी-जून,2017** के औसत के आधार पर **अक्टूबर, 2017** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा ।

(सं॰5/एम0डब्लू0-402/08 श्र0सं0-4833)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन रजक,
सरकार के अवर सचिव।

15 सितम्बर 2017

एस०ओ० 160, एस०ओ० 159 दिनांक 19 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं॰5/एम0डब्लू0-402/08 श्र0सं0-4834)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन रजक,
सरकार के अवर सचिव।

The 15th september2017

S.O. 159 Date 19th September 2017—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January,2017	274	4.63 X 4.93	6254.30
February,2017	274	4.63 X 4.93	6254.30
March,2017	275	4.63 X 4.93	6277.12
April,2017	277	4.63 X 4.93	6322.77
May,2017	278	4.63 X 4.93	6345.60
June,2017	280	4.63 X 4.93	6391.25
Total			**37845.34**
		Average :–	**37845.34÷ 6 = 6307.55**

SCHEDULE-I (B)

Name of employment - (1.) Papad Industry (2.) Sailars employment (3.) Agarbati Industry (4.) Employment of Safaies Karamcharis (Exculding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993)/ Notification No.- 1201, 1202 dated.- 28.03.2017

Gazette No. -258 dated-30.03.2017

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Workers	From Dated- 01.12.2016+01.04.2017 Minimum Wage Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.10.2017	Total rates of wages effective from the date 01.10.2017 (Column 3+4)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Unskilled	227.00+5.00=232.00	5.00	237.00 Perday
2	Semi skilled	237.00+5.00=242.00	5.00	247.00 Perday
3	Skilled	290.00+6.00=296.00	6.00	302.00 Perday
4	Highly Skilled	353.00+7.00=360.00	7.00	367.00 Perday
5	Supervisory/Clerical	6535.00+131.00=6666.00	133.00	6799.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even it the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January-June,2017** will be payable at the aforesaid rates from **October,2017** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 402 /08 L&R- 4833)
By the order of the Governor of Bihar,
Mohan Rajak ,
Under Secretary ***to Government.***.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)860-571+100-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in